



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58690

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 11624/2024

निर्मला राय

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अरविंद कुमार पाण्डेय, मोहम्मद ज़फर याब खान, शाहरोज खान, विवेकानन्द राय

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., मो0 ज़ाकिर हुसैन, मो0 नुरुद्दीन खान, सैय्यद शाहनवाज़ शाह

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आपराधिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-A(2) के अधीन, विद्वान विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा वाद अपराध संख्या 370 वर्ष 2017, धारा 3(2)(व) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना पकड़ी, जिला बलिया में पारित आदेश दिनांक 7.10.2024 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।
3. अभियोजन के कथानक के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 ने वर्तमान अपीलार्थी सहित सात व्यक्तियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का आरोप लगाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसके अनुपालन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में दिनांक 29.05.2017 की घटना के संबंध में दिनांक 25.08.2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, सूचनाकर्ता को सूचना प्राप्त हुई कि उसके पुत्र अजीत कुमार को निर्मला राय के घर पर गोली लगने से चोटें आई हैं। तत्पश्चात् जब सूचनाकर्ता एवं अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे, तो कथित रूप से उन्होंने अजीत कुमार एवं खुशबू राय के शव पाए, जिन पर गोली तथा धारदार हथियार से कारित चोटें थीं।

5. आगे यह आरोप लगाया गया है कि इससे पूर्व मृतक अजीत कुमार अभियुक्त परिवार से परिचित था और उनके घर आया-जाया करता था, किन्तु बाद में संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। घटना से लगभग एक माह पूर्व अभियुक्तगण ने कथित रूप से सूचनाकर्ता को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दी थी तथा उन्हें धमकी दी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने षड्यंत्र रचकर मृतक को बुलाया और तत्पश्चात् खुशबू राय के साथ उसकी हत्या कर दी तथा घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया।

6. विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए, पंचायतनामा तैयार किए गए तथा शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम आख्या के अनुसार, खुशबू राय के शरीर पर अनेक चीरे के घाव पाए गए तथा मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटों के कारण उत्पन्न आघात एवं रक्तस्राव था, जबकि मृतक अजीत कुमार के शरीर पर आग्नेयास्त्र से लगी चोट तथा चीरे के घाव पाए गए और मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुआ रक्तस्राव एवं आघात था।

7. तथापि, विवेचना के उपरांत विवेचक ने दिनांक 21.03.2018 को अभियुक्तगण के पक्ष में अंतिम आख्या प्रस्तुत की। तत्पश्चात् सूचनाकर्ता द्वारा विरोध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 26.07.2023 के आदेश द्वारा अंतिम आख्या निरस्त कर दी गई तथा अपीलार्थी सहित अन्य अभियुक्तगण को विचारण का सामना करने हेतु समन किया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 29.05.2017 को हुई, जबकि विपक्षी संख्या 2 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.07.2017 को अर्थात् लगभग 38 दिनों के विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत किया गया और उसके अनुपालन में धारा 302, 504, 506 भा.दं.सं. तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 3(2) के अधीन आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.08.2017 को पंजीकृत की गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इससे पूर्व अपीलार्थी ने धारा 302, 504, 506 भा.दं.सं. तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन संख्या 370 वर्ष 2017 प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 23.7.2024 को निरस्त कर दिया गया, किन्तु एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अधीन जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अधीन जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7.10.2024 द्वारा उक्त जमानत आवेदन निरस्त कर दिया, अतः वर्तमान आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 2 के पुत्र ने स्वयं खुशबू राय की अनेक चाकू के वार करके हत्या की और तत्पश्चात् स्वयं अपने ऊपर गोली चलाई तथा स्वयं को चाकू से चोटें भी पहुंचाई। यह प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सक की राय के अनुसार मृतक अजीत कुमार की मृत्यु मृत्यु-पूर्व आग्नेयास्त्र से लगी चोट के कारण हुई थी।

9. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी की माता ने भी दिनांक 29.05.2017 को मृतक तथा एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 एवं 506 भा.दं.सं. के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, किन्तु पुलिस ने उक्त मामले की समुचित विवेचना किए बिना दिनांक 16.02.2018 को अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में भी विवेचक ने गहन विवेचना के पश्चात् अंतिम आख्या प्रस्तुत की थी, किन्तु बाद में प्रस्तुत किए गए विरोध प्रार्थना-पत्र के आधार पर उसे निरस्त कर दिया गया।

10. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी मृतका खुशबू राय की मात्र विवाहित बहन है और कथित घटना में उसकी कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी विधवा है, लगभग 60 वर्ष की महिला है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

11. आगे यह तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त उमेश कुमार गोंड को इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 12621 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2025 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है और वर्तमान अपीलार्थी का मामला भी समान आधार पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि महिला अभियुक्त होने के कारण अपीलार्थी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के परन्तुक के लाभ की अधिकारिणी है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और दिनांक 5.7.2024 से जेल में निरुद्ध है तथा जमानत निरस्त करने वाला आक्षेपित आदेश अवैधानिकता एवं त्रुटि से ग्रस्त है और निरस्त किए जाने योग्य है।

13. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है; आरोपों से षड्यंत्र एवं सक्रिय सहभागिता प्रकट होती है; घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; अपराध गंभीर प्रकृति का है; अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् विरोध प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया है; तथा जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में अपीलार्थी साक्षियों को प्रभावित कर सकती है।

14. मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

15. आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य कि विवेचना के पश्चात् पुलिस ने अंतिम आख्या प्रस्तुत की थी, अपीलार्थी को विरोध प्रार्थना-पत्र के आधार पर समन किया गया है, अपीलार्थी की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है, अपीलार्थी महिला है तथा उसके छोटे बच्चे हैं, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह दिनांक 20.12.2024 से जेल में निरुद्ध है, सह-अभियुक्त को प्रदान की गई जमानत में समानता तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

16. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी के जमानत आवेदन को निरस्त करने वाला आक्षेपित आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

17. अपीलार्थी-निर्मला राय, जो उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) अपीलार्थी अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे भयभीत नहीं करेगी।

(iii) अपीलार्थी नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(iv) अपीलार्थी ऐसे किसी अपराध का कारित नहीं करेगी, जो उस अपराध के समान हो, जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसका कारित किया जाना उसके विरुद्ध संदिग्ध है।

(v) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव)

20 मार्च, 2026

कृष्णा